भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)
सत्यमेव जयते
जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 ● G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075
दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200

भाराराप्रा/ नीति दिशानिर्देश / व्यावसायिक प्रचालन/2026
नीति परिपत्र सं. 17.7.15/ 2026 दिनांक 24th जुलाई, 2026
{(ई-ऑफिस फाइल सं. CODIV/53/2026-CO Division (कम्प्युटर सं. 319745 पर लिया गया निर्णय)}

NHAI/ Policy Guidelines/ Commercial Operation/2026
Policy Circular No. 17.7.15/ 2026 dated 24th July, 2026
{(Decision taken on E-Office File No. CODIV/53/2026-CO Division (Comp No. 319745)}

विषय: पुल, सुरंग, फ्लाईओवर और एलिवेटेड राजमार्गों जैसी अवसंरचनाओं वाले खंडों के लिए उपयोगकर्ता शुल्क की गणना के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 में संशोधन।

Sub: Amendment in National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 regarding calculation of User Fee for sections involving Structures such as Bridges, Tunnels, Flyovers and Elevated Highways.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), राजपत्र अधिसूचना **जी.एस.आर. 437(अ) दिनांक 01.07.2025** के माध्यम से, अवसंरचनाओं वाले खंडों के लिए उपयोगकर्ता शुल्क के निर्धारण से संबंधित **राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008** के नियम **4(10)** को संशोधित किया है।

Ministry of Road Transport & Highways (MoRT&H), vide Gazette **Notification G.S.R. 437(E) dated 01.07.2025,** has amended **Rule 4(10)** of the National Highways Fee **(Determination of Rates and Collection) Rules, 2008** relating to determination of User Fee for sections involving Structures.

2. संशोधित प्रावधानों के अनुसार, एक या अधिक अवसंरचनाओं वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के एक खंड के लिए शुल्क की गणना ऐसी अवसंरचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग खंड की लंबाई में अवसंरचना की लंबाई का दस गुणा जोड़कर, या राष्ट्रीय राजमार्ग खंड की कुल लंबाई का पांच गुणा, जो भी कम हो, करके की जाएगी। शब्द "अवसंरचना" का अभिप्राय एक स्वतंत्र पुल, सुरंग, फ़्लाइओवर या एलिवेटेड राजमार्ग होगा।

As per the amended Provisions, fee for a section of National Highway involving one or more Structures shall be calculated by adding ten times the length of the Structure(s) to the length of the National Highway section excluding such Structures, or five times the total length of the National Highway section, whichever is lower. The term "Structure" shall mean an independent Bridge, Tunnel, Flyover or Elevated Highway.

3. सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में उपरोक्त संशोधन का समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी ने उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना, शुल्क संशोधन और शुल्क प्लाजा के संचालन से संबंधित प्रस्तावों पर कार्रवाई करते समय संशोधित प्रावधानों को अपनाने का अनुमोदित किया है।

Contd.....2/-

In order to ensure uniform implementation of the aforesaid amendment across all National Highway Projects, the Competent Authority has approved adoption of the amended provisions while processing proposals relating to User Fee notification, Fee Revision and operationalization of Fee Plazas.

4. सभी क्षेत्रीय कार्यालय और पीआईयू उपयोगकर्ता शुल्क के निर्धारण और उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना से संबंधित प्रस्तावों को उपरोक्त संशोधित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करेंगे।
All Regional Offices (ROs) and PIUs shall process proposals relating to determination of User Fee and User Fee Notification in accordance with the aforesaid amended Provisions.

5. ये अनुदेश अधिसूचना की तिथि से प्रभावी हैं।
These instructions are effective from the date of Notification.

6. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

संलग्नक: यथोपरी।
Encl.: **As stated above.**

24/07/26

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
   Library for hosting the Circular on Library site.
2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
   Web Admin for Circulation.
3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
   PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.

1663437/2026/CO

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072025-264315
CG-DL-E-02072025-264315

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394]	नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 1, 2025/आषाढ़ 10, 1947
No. 394]	NEW DELHI, TUESDAY, JULY 1, 2025/ASHADHA 10, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 437(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) (दूसरा संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 4 के उपनियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात्:-

"(10) संरचना या संरचनाओं से युक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी सेक्शन के उपयोग के लिए फीस की दर की गणना संरचना या संरचनाओं की लंबाई के सिवाय राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन की लंबाई में संरचना या संरचनाओं की लंबाई का दस गुना जोड़कर या राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन की कुल लंबाई का पांच गुना, जो भी कम हो, करके की जाएगी।

स्पष्टीकरण.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "संरचना" से कोई स्वतंत्र पुल, सुरंग या फ्लाईओवर या उत्थापित राजमार्ग से अभिप्रेत है।

File No. CODIV/53/2026-CO Division (Computer No. 319745)

1663437/2026/CO

उदाहरण (i):

यदि किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी सेक्शन की कुल लंबाई 40 किलोमीटर है, जिसमें 10 किलोमीटर की शुद्ध सड़क लंबाई और 30 किलोमीटर संरचना की लंबाई सम्मिलित है, तो न्यूनतम लंबाई की गणना निम्नानुसार की जाएगी: -

10 x 30 (अर्थात संरचना की लंबाई का दस गुना) + 10 (अर्थात संरचना की लंबाई के सिवाय शुद्ध सड़क की लंबाई) = 310 किलोमीटर

या

राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन की कुल लंबाई का पांच गुना = अर्थात 5 x 40 = 200 किलोमीटर

उपयोक्ता फीस की गणना कम लंबाई अर्थात 200 किलोमीटर के लिए की जाएगी।

उदाहरण (ii):

यदि राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी सेक्शन की कुल लंबाई 40 किलोमीटर है, जिसमें 30 किलोमीटर की शुद्ध सड़क लंबाई और 10 किलोमीटर संरचना की लंबाई सम्मिलित है, तो न्यूनतम लंबाई की गणना निम्नानुसार की जाएगी: -

10 x 10 (अर्थात संरचना की लंबाई का दस गुना) + 30 (अर्थात संरचना की लंबाई के सिवाय शुद्ध सड़क की लंबाई) = 130 किलोमीटर

या

राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन की कुल लंबाई का पांच गुना = अर्थात 5 x 40 = 200 किलोमीटर

उपयोक्ता फीस की गणना कम लंबाई अर्थात 130 किलोमीटर के लिए की जाएगी।

उदाहरण (iii):

यदि राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी सेक्शन की कुल लंबाई 40 किलोमीटर है, जिसमें केवल संरचना सम्मिलित है, तो न्यूनतम लंबाई की गणना निम्न प्रकार की जाएगी: -

10 x 40 (अर्थात संरचना की लंबाई का दस गुना) = 400 किलोमीटर

या

राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी सेक्शन की कुल लंबाई का पाँच गुना = अर्थात 5 x 40 = 200 किलोमीटर

उपयोक्ता फीस की गणना कम लम्बाई अर्थात 200 किलोमीटर के लिए की जाएगी:

परंतु यह फीस की गणना राष्ट्रीय राजमार्ग के भाग के रूप में किसी संरचना या संरचनाओं पर लागू नहीं होगी, यदि ऐसी संरचना की लंबाई साठ मीटर या उससे कम है और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन की सामान्य लंबाई के भाग के रूप में माना जाएगा।

(10 क) उप-नियम (10) के उपबंध सभी फीस प्लाजाओं पर लागू होंगे और ये निम्न तारीख से लागू होंगे,:-

(क) विद्यमान लोक वित्तपोषित फीस प्लाजाओं की दशा में अग्रिम अनुसूचित उपयोक्ता फीस पुनरीक्षण की तारीख से;

(ख) रियायत करारों की समाप्ति पर या रियायतग्राही द्वारा संचालित फीस प्लाजाओं के लिए कार्यकारी प्राधिकारी को वापस अंतरण पर; तथा

(ग) नए संचालित फीस प्लाजा में टोल संचालन प्रारंभ होने की तारीख से।

[फा. सं. एच-25016/02/2024-टोल (ई-244498)]

विनय कुमार, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित किये गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 388(अ), तारीख 17 जून, 2025 द्वारा अंतिम बार से संशोधित किये गए थे।

File No. CODIV/53/2026-CO Division (Computer No. 319745)

1663437/2026/CO

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2025

G.S.R. 437(E).— In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, namely: –

1. *(1)* These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) (Second Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, in rule 4, for sub-rule *(10),* the following sub-rules shall be substituted, namely: –

"(10) The rate of fee for use of a section of national highway comprising of structure or structures shall be calculated by adding ten times the length of structure or structures, to the length of the section of national highway excluding the length of structure or structures, or five times the total length of section of national highway, whichever is lesser.

Explanation. – For the purposes of this sub-rule, "structure" means an independent bridge, tunnel or flyover or elevated highway.

Illustration (i):

If a section of national highway has a total length of 40 kilometers, comprising net road length of 10 kilometers and 30 kilometers length of structure, the minimum length shall be computed as follows: –

10 x 30 (*i.e.* ten times length of structure) + 10 (*i.e.* net road length excluding length of structure) = 310 kilometers

or

Five times the total length of the section of national highway = *i.e.* 5 x 40 = 200 kilometers

User fee shall be calculated on the lesser length *i.e.* for 200 kilometers.

illustration (ii):

If a section of national highway has a total length of 40 kilometers, comprising net road length of 30 kilometers and 10 kilometers length of structure, the minimum length shall be computed as follows: –

10 x 10 (*i.e.* ten times length of structure) + 30 (*i.e.* net road length excluding length of structure) = 130 kilometers

or

Five times the total length of section of a national highway = *i.e.* 5 x 40 = 200 kilometers

User fee shall be calculated on the lesser length *i.e.* for 130 kilometers.

Illustration (iii):

If a section of national highway has a total length of 40 kilometers, comprising of structure alone, the minimum length shall be computed as follows: –

10 x 40 (*i.e.* ten times length of structure) = 400 kilometers

or

Five times the total length of section of a national highway = *i.e.* 5 x 40 = 200 kilometers

File No. CODIV/53/2026-CO Division (Computer No. 319745)

1663437/2026/CO

User fee shall be calculated on the lesser length *i.e.* for 200 kilometers:

Provided that the calculation of fee shall not apply to any structure or structures, forming part of national highway, if length of such structure is sixty meters or less and it shall be considered as part of normal length of the section of national highway.

(10A) The provisions of sub-rule *(10)* shall apply to all fee plazas and shall take effect, –

(a) from the date of next scheduled user fee revision in the case of existing public funded fee plazas;

(b) upon expiry of concession agreements or transfer back to the executive authority for concessionaire-operated fee plazas; and

(c) from the date of commencement of toll operations in the newly operated fee plazas.".

[F. No. H-25016/02/2024-Toll (E-244498)]

VINAY KUMAR, Addl. Secy.

Note: –The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section *(i) vide* notification number G.S.R. 838 (E), dated the 5th December, 2008 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 388 (E) dated the 17th June, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

File No. CODIV/53/2026-CO Division (Computer No. 319745)